न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–401/2019

मो0 शम्शुद्दीन.....वादी

बनाम

हरेन्द्र ठाकुर एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
23.03.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी सं0–01 की तरफ से एक आवेदन दिनांक 14.05.2025 अंदर आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया, जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादी सं0–01 ता 06 की ओर से दिनांक 28.07.2025 को दाखिल किया गया। वादी सं0–01 का आवेदन आज दिनांक 23.03.2026 को आदेश हेतु नियत है। वादी सं0–01 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–02 जैनुल नेशा की मृत्यु दिनांक 23.01.2023 को हो गई है। जैनुल नेशा अपने पीछे अपने विधिक वारिसान के रूप में अपने पुत्र मो0 शमशुद्दीन को छोड़कर मरे है, जो प्रस्तुत वाद में पूर्व से ही वादी सं0–01 है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र से मृत वादी सं0–02 का नाम कलमजद करना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाद पत्र से मृत वादी सं0–01 का नाम कलमजद करने का आदेश देने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01 ता 06 की ओर से वादी सं0–01 के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 28.07.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि वादी का आवेदन दिनांक 14.05.2025 तथ्या एवं विधि दोनों के दृष्टिकोण से परिपालनीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। वादी सं0–02 की मृत्यु दिनांक 23.01.2023 को हुई	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–401/2019

मो0 शम्शुद्दीन.....वादी

बनाम

हरेन्द्र ठाकुर एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 23.03.2026	है परन्तु वादी सं0–01 के द्वारा यह आवेदन ढाई वर्षो के विलम्ब से दाखिल किया गया है जो काल बाधित आवेदन है। वादी सं0–02 बीबी जैनुल नेशा के तीन पुत्र मो समसुल आर्फीन, मो0 समसुद्दीन, मो0 मुस्तकीम तथा एक लड़की बीबी तहरून नेशा सभी विधिक वारिसान है तथा मो0 आरर्फीन मर चुके है तथा अपने पिछे अपनी विधवा रसीदा खातुन एवं दो पुत्री क्रमशः अंगूरी खातुन एवं शबनम खातुन को छोड़कर मरें है तथा मो0 मुस्तकीम भी अपने पिछे अपनी विधवा हजरा खातुन तथा एक लड़का वनिस इकबाल एवं पुत्री सना को छोड़कर मरे है जो वादी सं0–02 के परिवार के विधिक वारिसान है तथा नियमतः प्रतिस्थापना आवेदन के प्रतिस्थापित वादी है तथा वादी के द्वारा प्रतिस्थापित वादी का प्रतिस्थापना विधित आवश्यक है तथा वादी सं0–01 के गलत तथ्यों पर गलत प्रतिस्थापना आवेदन न्यायालय को दिया है जो गलत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी के आवेदन दिनांक 14.05.2025 का प्रतिस्थापना आवेदन को विशेष खर्चा के साथ खारिज करने की कृपा किया जाए। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी सं0–01 के द्वारा एक आवेदन दिनांक 14.05.2025 को अंदर आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया तथा निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–02 जैनुल	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

स्वत्व वाद सं0–401/2019

मो0 शम्शुद्दीन.....वादी

बनाम

हरेन्द्र ठाकुर एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 23.03.2026	नेशा की मृत्यु दिनांक 23.01.2023 को हो गई है। जैनुल नेशा अपने पीछे अपने विधिक वारिसान के रूप में अपने पुत्र मो0 शमशुद्दीन को छोड़कर मरे है, जो प्रस्तुत वाद में पूर्व से ही वादी सं0–01 है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र से मृत वादी सं0–02 का नाम कलमजद करने की अनुमति प्रदान की जाए। वादी सं0–01 का आवेदन न्यायसंगत है। वादी सं0–01 के आवेदन को स्वीकृत करने से वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहीत में वादी सं0–01 का आवेदन दिनांक 14.05.2025 को स्वीकृत किया जाता है एवं वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र से वादी सं0–02 का नाम विलोपित करें। आगामी दिनांक 12.05.2026 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत किया जाता है। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–401/2019

मो0 शम्शुद्दीन.....वादी

बनाम

हरेन्द्र ठाकुर एवं अन्य.....प्रतिवादीगण